"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2017— माघ 14, शक 1938

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-04/2017/वा. क. (पं.)/पांच (02). — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (1) के खण्ड (कक) सहपठित धारा 16-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा किया जाना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उन दस्तावेजों, जिनका, उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, का आगामी आदेश पर्यन्त विभागीय इलेक्ट्रानिक पंजीयन पद्धति "ईरा" (ई-रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन) के माध्यम से राज्य के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में दिनांक 01-02-2017 से ई-रजिस्ट्रीकरण द्वारा भी किया जा सकेगा. उन दस्तावेजों के लिए जिनका उक्त अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, ई-रजिस्ट्रीकरण ऐच्छिक रहेगा. किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में, महानिरीक्षक पंजीयन को छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के अनुसार अन्यथा कार्यवाही करने हेतु, एतद्द्वारा, प्राधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10-04/2017/वा. क. (पं.)/पांच (02).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-04/2017/वा. क. (पं.)/पांच (02), दिनांक 1-2-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st February 2017

NOTIFICATION

No. F 10-04/2017/CT (R)/V/(02). — In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of Section 69 read with sub-section (1) of Section 16-A of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby, directs that registration of documents which are compulsorily registered under Section 17 of the said Act, till further order may also be done by means of "e-Registration" through the department's Electronic Registration System "ERA" (e-Registration Application) in the offices all sub-registrar of the State with effect from 01-02-2017 For documents that are not to be compulsorily registered under Section 18 of the said Act, e-Registration shall be optional. In case of unavoidable circumstances, the Inspector General of Registration is hereby authorized to proceed otherwise as per the Chhattisgarh Registration Rules, 1939.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.